राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल(आर0ए0एस0)
आर.सी.एम.एस 2017 / 00222
अपील संख्या 116 / 17 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान :–

1. जगनसिंह पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी बांसी खुर्द तहसील व जिला भरतपुर।

––– अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भरतपुर।

––– असल रेस्पोडेन्ट

2. मदनसिंह पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी बांसी खुर्द तहसील व जिला भरतपुर।

––– तरतीवी रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री तारीख 22.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर वाद संख्या 219 / 14 उनवानी जगनसिंह बनाम सरकार।

उपस्थिति :– वकील अपीलांट रूपेन्द्र सिंह

निर्णय दिनांक 02.02.2021

पत्रावली बाबत् निर्णय हेतु प्रस्तुत है अपीलाण्ट की ओर से धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के विरूद्ध न्यायालय हाजा प्रस्तुत कथन किया कि विचाराणीय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 विरूद्ध कानून जो खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा संख्या 734 रकबा 0.42 एअर वाके ग्राम बांसी खुर्द तहसील भरतपुर का अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 खातेदार कृषक है तथा खसरा नम्बर 735 रकबा 22 ऐअर वाके बांसी खुर्द सिवायचक आराजी है राजस्व विभाग ने हाल नक्शा बनाते समय

अखलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट 02 की आराजी का हाल नक्शा रकबा व मौके की कब्जे के विपरीत बना दिया। हाल व जमाबन्दी देखने मात्र से ही उक्त त्रृटि जाहिर हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक न्यायालय मे वादे को खारिज करते हुए मात्र इस आधार पर किया कि गत खसरा नम्बर व मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नही किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कि जाकर विचाराधीन न्यायालय का निर्णय व डिक्री 22.05.2017 निरस्त किया जावे।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय दिनांक 22.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बांसी खुर्द मे वाद का निस्तारण किया गया। प्रकरण को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 मे उल्लेखित किया कि वादीगण ने दावे मे गत व हाल नक्शा पेश नही किया है न ही गत ही खसरा संख्या मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय साक्ष्य के अभाव में खारिज किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 एवं राजस्व नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रकबे के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 734, 735 वाके बांसी खुर्द इन्द्राज सही प्रतीत नही होते अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक था जो नही दिया गया।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी बाबत् अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मौका देते हुए वाद को गुण दोष के आधार पर निस्तारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.04.2021 मे उपस्थित हो।

02.02.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

अखलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

यह आदेश आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.02.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

अखलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज०)